रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 195] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 19, 2019/फाल्गुन 28, 1940
No. 195] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 19, 2019/PHALGUNA 28, 1940

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2019

सा.का.नि. 222(अ).— केंद्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 7, 8, 9, और 10 के साथ पठित धारा 239 की उपधारा (1) के खंड (ग), (घ), (ङ) और (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिवाला और शोधन अक्षमता (न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आवेदन) नियम, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिवाला और शोधन अक्षमता (न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आवेदन) संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये नियम इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. दिवाला और शोधन अक्षमता (न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आवेदन) नियम, 2016 में;-

(क) प्ररूप 1 में,-

(i) शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"संहिता के भाग 2 के अध्याय 2/भाग 2 के अध्याय 4 के *अधीन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए वित्तीय लेनदार(लेनदारों) द्वारा आवेदन

[*जो लागू न हो उसे काट दें]";

(ii) भाग II में, क्रम संख्या 5 के पश्चात् निम्नलिखित अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"6.	संहिता की धारा 55(2) के अधीन अधिसूचना के अनुसार कारपोरेट ऋणी के ब्यौरे- (i) आस्तियां और आय (ii) लेनदारों का वर्ग या ऋण की राशि	

	(iii) कारपोरेट व्यक्ति का प्रवर्ग (जहां आवेदन संहिता के भाग 2 के अध्याय 4 के अधीन है)";	

(ख) प्ररूप 5 में,-

(i) शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"संहिता के भाग 2 के अध्याय 2/भाग 2 के अध्याय 4 के *अधीन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए प्रचालन लेनदार(लेनदारों) द्वारा आवेदन

[*जो लागू न हो उसे काट दें]";

(ii) भाग II में, क्रम संख्या 7 के पश्चात्, निम्नलिखित अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"8.	संहिता की धारा 55(2) के अधीन अधिसूचना के अनुसार कारपोरेट ऋणी के ब्यौरे – (i) आस्तियां और आय (ii) लेनदारों का वर्ग या ऋण की राशि (iii) कारपोरेट व्यक्ति का प्रवर्ग (जहां आवेदन संहिता के भाग 2 के अध्याय 4 के अधीन है)";	

(ग) प्ररूप 6 में, -

(i) शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"संहिता के भाग 2 के अध्याय 4/भाग 2 के अध्याय 2 के *अधीन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कारपोरेट आवेदक द्वारा आवेदन

[*जो लागू न हो उसे काट दें]";

(ii) भाग I में, क्रम संख्या 8 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"9.	संहिता की धारा 55(2) के अधीन अधिसूचना के अनुसार कारपोरेट ऋणी के ब्यौरे – (i) आस्तियां और आय (ii) लेनदारों का वर्ग या ऋण की राशि (iii) कारपोरेट व्यक्ति का प्रवर्ग (जहां आवेदन संहिता के भाग 2 के अध्याय 4 के अधीन है)"।	

[फा.सं.30/20/2018-दिवाला]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्याक 1108(अ), तारीख 30 नवंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

IndiaCode

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2019

G.S.R. 222(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (c), (d), (e) and (f) of sub-section (1) of section 239 read with sections 7, 8, 9 and 10 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Insolvency and Bankruptcy (Application to Adjudicating Authority) Rules 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Insolvency and Bankruptcy (Application to Adjudicating Authority) Amendment Rules, 2019.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy (Application to Adjudicating Authority) Rules, 2016,-

(a) in Form 1,-

(i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

"APPLICATION BY FINANCIAL CREDITOR(S) TO INITIATE CORPORATE INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS *UNDER CHAPTER II OF PART II/ UNDER CHAPTER IV OF PART II OF THE CODE

[*strike out whichever is not applicable]";

(ii) in Part-II, after serial number 5, the following shall be inserted, namely:-

"6.	DETAILS OF THE CORPORATE DEBTOR AS PER THE NOTIFICATION UNDER SECTION 55 (2) OF THE CODE – (i) ASSETS AND INCOME (ii) CLASS OF CREDITORS OR AMOUNT OF DEBT (iii) CATEGORY OF CORPORATE PERSON *(WHERE APPLICATION IS UNDER CHAPTER IV OF PART II OF THE CODE)* ";	

(b) in Form 5,-

(i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

"APPLICATION BY OPERATIONAL CREDITOR (S) TO INITIATE CORPORATE INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS *UNDER CHAPTER II OF PART II/ UNDER CHAPTER IV OF PART II OF THE CODE

[*strike out whichever is not applicable]";

(ii) in Part-II, after serial number 7, the following shall be inserted, namely:-

"8.	DETAILS OF THE CORPORATE DEBTOR AS PER THE NOTIFICATION UNDER SECTION 55 (2) OF THE CODE – (i) ASSETS AND INCOME (ii) CLASS OF CREDITORS OR AMOUNT OF DEBT (iii) CATEGORY OF CORPORATE PERSON *(WHERE APPLICATION IS UNDER CHAPTER IV OF PART II OF THE CODE)*";	

(c) in Form 6,-

(i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

"APPLICATION BY CORPORATE APPLICANT TO INITIATE CORPORATE INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS *UNDER CHAPTER II OF PART II/ UNDER CHAPTER IV OF PART II OF THE CODE

[*strike out whichever is not applicable]";

(ii) in Part-I, after serial number 8, the following shall be inserted, namely:-

"9.	DETAILS OF THE CORPORATE DEBTOR AS PER THE NOTIFICATION UNDER SECTION 55 (2) OF THE CODE – (i) ASSETS AND INCOME (ii) CLASS OF CREDITORS OR AMOUNT OF DEBT (iii) CATEGORY OF CORPORATE PERSON *(WHERE APPLICATION IS UNDER CHAPTER IV OF PART II OF THE CODE)*".	

[F. No. 30/20/2018-Insolvency]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The Principal Rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R 1108(E) dated the 30th November, 2016.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.03.19 21:59:21 +05'30'